न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 39/2010/(2010/00007) जिला–अजमेर

अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री नसीर खां जाति मुसलमान निवासी छोटा मौहल्ला मस्जिद के पास, सरवाड़ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सरवाड़ जिला अजमेर।
2. तहसीलदार, सरवाड़।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 23–03–2010
अन्तर्गत अपील संख्या 04/2010
बउनवान अब्दुल गफ्फार बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सरवाड़ व अन्य

––––

उपस्थित–
1. श्री सलमान खान अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री बसन्त विजयवर्गीय राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी सं0 1
3. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी सं0 2

निर्णय

दिनांकः– 01–08–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है नगर पालिका सरवाड़ स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1670 रकबा 19 बिस्वा पर अपीलार्थी का सन् 1981 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि अपीलार्थी की माता ने एक–दो रूपये मूल्य के स्टॉम्प पेपर से श्री नारायणदास पुत्र नानूदास जाति वैष्णव से बजरिये प्रतिफल राशि रूपये 1100/– में क्रय की तब से उक्त भूमि पर अपीलार्थी का निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। किन्तु अपीलार्थी की भूमि नगर पालिका पार्षद के पति विशाल मेवाड़ा के निजी स्वार्थ एवं नगर पालिका की भूमि को हड़पने की नियत से अन्य पार्षदों को गुमराह कर उक्त भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने एवं उक्त भूमि में से रास्ता निकलवाने हेतु तत्पर है। अपीलार्थी को बेदखल करने हेतु जिला कलक्टर महोदय के समक्ष उक्त खसरा नम्बर 1670 जो कि नगर पालिका की भूमि है जिसमें मुक्तिधाम जाने हेतु आम रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कर स्वयं नगर पालिका

सरवाड़ द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को पत्र प्रेषित कर उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ता घोषित करने हेतु पत्र लिखा जिस पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2343 दिनांक 13–11–2009 को नगर पालिका सरवाड़ से श्री सरकार सिवायचक भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2010 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1670 रकबा 19 बिस्वा पर अपीलार्थी वर्ष 1982 से काबिज काश्त चजा आ रहा है किन्तु बिना कब्जे के तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण सरकारी सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो कि बिना कब्जे के तस्दीक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बिना कब्जे के कोई भी नामान्तरकरण कानूनन तस्दीक नहीं किया जा सकता किन्तु उक्त प्रकरण में कब्जा अपीलार्थी का है तथा नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम तस्दीक किया गया जो निरस्त योग्य था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार धारा 133 से 135 के अनुसार कब्जे के बिना नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता किन्तु उक्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से कब्जा अपीलार्थी का है जिस बाबत स्वयं नगर पालिका भी मानती है इस कारण ही नगर पालिका द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का नोटिस भी दिनांक 6–2–2006 को जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि स्वयं नगर पालिका का कब्जा उक्त आराजी पर नहीं है इसलिए जब स्वयं नगर पालिका का कब्जा ही नहीं है तो नामान्तरकरण में श्री सरकार दर्ज किया जाना कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से नामान्तरकरण संख्या 2343 दिनांक 13–11–2009 निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि का पट्टा दिये जाने बाबत एक प्रकरण नगर पालिका सरवाड़ के समक्ष विचाराधीन है इसलिए जब तक उस पर कोई कार्यवाही अंतिम रूप से नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को भी नजर अन्दाज कर दिया कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर दिनांक 22–6–81 से लगातार काबिज चला आ रहा है क्योंकि अपीलार्थी की माता ने उक्त भूमि को नारायणदास पुत्र श्री नानूदास जाति वैष्णव साधू से क्रय की थी तब से लेकर आदिनांक तक कब्जा चला आ रहा है जिसकी ताईद नकल मौका पर्चा दिनांक 26–10–2009 से पूर्ण रूप से होती है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि बाबत पट्टा चाहने हेतु पत्रावली नगर पालिका सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है जिसके बाबत 25/– रूपये की रसीद पुस्तक संख्या 651 के

क्रम संख्या 51 पर दिनांक 30–1–2006 को दर्ज है किन्तु उसके पश्चात भी नगर पालिका सरवाड़ द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया तथा नामान्तरकरण श्री सरकार के नाम दर्ज किया गया जो निरस्त योग्य था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2010 एवं तहसीलदार सरवाड़ द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 2343 दिनांक 13–11–2009 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट में कब्जे का कथन किया गया है जबकि मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कब्जा ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा भूमि किससे क्रय की? उसके संबंध में कोई दस्तावेजात नहीं है। अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका में पट्टे हेतु आवेदन किया किन्तु उक्त भूमि रास्ते की है। अपीलार्थी द्वारा अपील में खसरा नम्बर 1617 लिखा है जबकि वास्तव में राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1670 अंकित है। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के मूल आदेश को चुनौती नहीं दी है आगे की कार्यवाही को चुनौती दी है। अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा RRT 2011 (1) HC 663, RRT 2009 (1) RB 220, RRT 2007 (2) RB 1181, RRT 2002 (1) HC 162, WLC 2001 (4) (Raj.) 431, S.C.C 1995(3) S.C.33, RRT 2005 (1) RB 220, RRT 2013 (2) RB 808 की नजीर प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि विवादित भूमि नगर नगर पालिका सरवाड़ की खातेदारी भूमि थी जिसका उपयोग शमशान घाट के रास्ते के रूप में कई वर्षो से होता आ रहा था। उक्त भूमि जनहित में रास्ता रहे इसके लिए बोर्ड द्वारा दिनांक 12–5–2008 को रास्ते के लिए आरक्षित करने की कार्यवाही करने पर जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में नगर पालिका के स्थान पर सिवायचक गै0मु0आबादी (रास्ता) दर्ज की गई है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को पटवारी हलका से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौके पर रास्ते के रूप में काम में आ रही है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना भी अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र विवादित भूमि को हड़पने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में प्रत्यर्थी संख्या–1 की बहस का जवाब देते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जा था। अपीलार्थी को 1981 से अतिक्रमी मान रहे है। पार्षद की शिकायत पर

जिला कलक्टर को प्रस्ताव भेजा गया था। अपर जिला कलक्टर के आदेश को चुनौती दी है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार सरवाड़ द्वारा जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को नियमानुसार जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 3–11–2009 को चुनौती दी जानी चाहिए थी। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा विवादित आराजियात नगर पालिका सरवाड़ की भूमि थी। जिसका उपयोग शमशान घाट के रास्ते के रूप में वर्षो से होता आ रहा था। उक्त भूमि जनहित में रास्ता रहे इसके लिए बोर्ड में दिनांक 12–5–2008 को उक्त भूमि को सदैव रास्ते के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था। उसकी पालना में विवादित आराजियात राज्य सरकार को समर्पित कर रास्ते के लिए आरक्षित करने की कार्यवही करने पर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 3–11–2009 के द्वारा नगर पालिका के स्थान पर सिवायचक गैर मु0 आबादी (पड़त) रास्ता दर्ज की गई। विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा दिनांक 26–10–2009 को पटवारी हलका से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौके पर रास्ते के रूप में काम में आ रही है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना भी अंकित नहीं है। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में सिवायचक भूमि का अंकन कर नामान्तरकरण संख्या 2343 दिनांक 13–11–2009 स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1670 रकबा 19 बिस्वा पर 1981 से कब्जा होने का कथन किया गया है तथा भूमि नारायणदास पुत्र श्री नानूदास जाति वैष्णव साधू से क्रय करना बताया है किन्तु इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजात बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट दिनांक 26–02–2009 में उक्त भूमि पर किसी का अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है। विवादित भूमि नगर पालिका सरवाड़ की खातेदारी भूमि थी जिसका उपयोग शमशान घाट के रास्ते के रूप में कई वर्षो से होता आ रहा है। इसका उल्लेख ग्रामवासियों द्वारा अपने शिकायती पत्र में भी किया है। उक्त भूमि जनहित में रास्ता कायम रहे इसके लिए नगर पालिका बोर्ड द्वारा दिनांक 12–5–2008 को रास्ते के लिए आरक्षित करने की कार्यवाही करने पर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में नगर पालिका के स्थान पर सिवायचक गै0मु0 आबादी (रास्ता) दर्ज की गई है। राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कोई हक व हकूक होना नहीं पाया जाता है तथा न ही अपीलार्थी पीड़ित पक्षकार है। तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2343 दिनांक 13–11–2009 जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी को जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 3–11–2009 की पालना में सक्षम

न्यायालय में चुनोती दी जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायलय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2010 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–3–2010 अन्तर्गत अपील संख्या 04/2010 बउनवान अब्दुल गफ्फार बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरवाड़ व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर